

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ੇਂ. 10] No. 10} नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 5, 2008/पौष 15, 1929 NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 5, 2008/PAUSA 15, 1929

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(ई. एम. अनुभाग)

(भारतीय रिज़र्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, ९ अक्तूबर, 2007

सं. फेमा 164/2007-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2007

सा.का.नि. 13(अ)—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (क) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी-2004) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**:—(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2007 कहलाएंगे।
 - (ii) इन विनियमों के प्रावधान इसमें नीचे निर्दिष्ट तारीखों से लागू किए गए समझे जाएंगे ।
- 2. विनियम 2 का संशोधन :—विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी-2004 इसके बाद भूल विनियमावली के रूप में उल्लिखित) में,
 - (i) विनियम 2 में, खंड (च) में ''गारंटी की राशि का 50 प्रतिशत'' शब्दों और अंकों के लिए ''गारंटी की राशि का 100 प्रतिशत'' शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा जुन, 2007 के 14वें दिन से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा।
 - (ii) विनियम 2 में, खंड (थ) के बाद निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा और अप्रैल, 2007 के 30वें दिन से जोड़ा गया समझा जाएगा अर्थात :—
 - ''(थक) ''उद्यम पूंजी निधि'' का तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उद्यम पूंजी निधि) विनियमावली, 1996 में यथा परिभाषित निधि है ‡''
 - विनियम 6 का संशोधन :— मुल विनियमावली में, विनियम 6 में,
 - (i) उप-विनियम (2) में, खंड (i) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा जून, 2007 के 14वें दिन से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्,

(1)

"(i) संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में भारतीय पार्टी की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख को भारतीय पार्टी के निवल मालियत के 300% से अधिक नहीं होगी.

बशर्ते भारतीय पार्टी , जो एक पंजीकृत साझेदारी फर्म है, के लिए कुल वित्तीय प्रतिबद्धता इसके निवल मालियत के 200% से अधिक नहीं होगी।"

(ii) उप-विनियम (2) में, खंड (i) में, स्पष्टीकरण में, " निवल मालियत के 200% की सीमा के अंदर कुल विनीय प्रतिबद्धता के निर्धारण के प्रयोजन के लिए " शब्दों और अंको के लिए मिम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा जून 2007 के 14 वें दिन से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् -

"निवल मालियत के 200% अथवा 300% जैसा मामला हो, की सीमा के अंदर " कुल वित्तीय प्रतिबद्धता " के निर्धारण के प्रयोजन के लिए "

- (iii) 39-विनियम 2 में . खड़ (i) में, उप खंड़ (ग) में "गारंटी के मूल्य का पचास प्रतिशत" शब्दों के लिए "गारंटी के मूल्य का सौ प्रतिशत " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा जन 2007 के 14 वें दिन से प्रतिस्थापित किया गया समझा आएगा।
- (iv) उप-विनियम (3) में , खंड (ii) में " निवल मालियत के 100% से अधिक नहीं होगा" शब्दों और अंकों के लिए " निवल मालियत के 200% से अधिक नहीं होगा" शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा और मई 2005 के 12 वें दिन से प्रतिस्थापित किया गएगा।
- (v) उप-विनियम (3) में, इसमें उपर खंड (iv) द्वारा यथासंशोधित खंड (ii) में "निवत मालियत के 200% से अधिक नहीं होगा " शब्दों के लिए " कारपोरट के मामले में 300% से अधिक नहीं होगा तथा पंजीकृत साझेदारी फर्मों के मामले में निवल मालियत के 200% से अधिक नहीं होगा " शब्दों को प्रतिस्थपित किया जाएगा और जून 2007 के 14 वें दिन से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा।
- (vi) उप-विनियम (3) में, खंड (ii) में स्पष्टीकरण में " निवल मालियत के 100% से अधिक नहीं होगा" शब्दों और अंकों के लिए " निवल मालियत के 200% से अधिक नहीं होगा " शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा और मई 2005 के 12 वें दिन में प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा।
- (vii) उप-विनियम (3) में, उपर खंड (vi) हारा यथासंशोधित खंड (ii) में

" निवल मालियत का 200% " शब्दों और अंकों के लिए " कारपोरट के मामले में निवल मालियत का 300% से अधिक नहीं होगा तथा पंजीकृत साझेदारी फर्म के मामले में निवल मालियत का 200 % से अधिक नहीं होगा " शब्दों और अंको को प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा जून 2007 के 14 वें दिन से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा।

- (viii) उप-विनियम (3) में, खंड (ग) में, उप खंड (ii) में " गारंटियों की राशि के पचास प्रतिशत " शब्दों के लिए " गारंटियों की राशि के सौ प्रतिशत " शब्दों को प्रतिस्थिपित किया जाएगा तथा जून 2007 के 14 वें दिन से प्रतिस्थिपित किया गया समझा जाएगा।
- (ix) उप-विनियम (3) में, खंड (ii) में, उप खंड (ग) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा और मार्च 2006 के 27 वें दिन से जोड़ा गया समझा जाएगा, अर्थात् :- "स्पष्टीकरण:-एक भारतीय पार्टी भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति को गारंटी का कोई भी रूप प्रस्तावित कर सकती है जो कारपोरेट अथवा वैयक्तिक /प्राथमिक अथवा संपार्श्विक / भारत में प्रवर्तक कंपनी द्वारा गारंटी / भारत में समूह कंपनी, सहयोगी संस्था अथवा सहयोगी कंपनी है बशर्तें
 - (क) गारंटियों के सभी प्रकार सहित कुल " वित्तीय प्रतिबद्धता " किसी भारतीय पार्टी द्वारा समुद्रपारीय निवेशों के लिए अनुबद्ध समग्र सीमा के अंदर है तथा (ख) कोई भी गारंटी "निरंतर स्वरूप" की नहीं है।"
- (x) उप-विनियम (3)में,खंड (ii) में स्पष्टीकरण में , उप खंड (ङ) के बाद निम्नलिखित नया उप-खंड जोड़ा जाएगा तथा जूलै 2004 के 7 वें दिन से जोड़ा गया समझा जाएगा, अर्थात्:-"(च) शेयरों की अदला-बदली (स्वैप)
- (xi) उप-विनियम (3)में,खंड (ii) में स्पष्टीकरण में , उपर खंड (x) द्वारा यथासंशोधित उप खंड (च) के बाद निम्नलिखित नया उप-खंड जोड़ा जाएगा तथा अप्रैल 2007 के 20 वें दिन से जोड़ा गया समझा जाएगा, अर्थात्:"(छ) मूल्यांकन मानदंडों और क्षेत्रीय सीमा के अधीन ए डी आर / जी डी आर स्टॉक की अदला-बदली (स्वैप)"

4. विनियम 6आ का संशोधन

मूल विनियमावली में, विनियम 6आ में

(i) शब्द "और व्यक्ति अथवा " को हटा दिया जाएगा तथा दिसंबर
 2006 के 20 वें दिन से हटा दिया गया समझा जाएगा।

(ii) खंड (ख) में उप-खंड (i) में शब्दों और अंकों " निवल मालियत का 25% " के लिए शब्दों और अंकों " निवल मालियत का 35% " को प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा जून 2007 के 14 वें दिन से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा।

5. विनियम 8 का संशोधन

मूल विनियमावली में, विनियम 8 को हटा दिया जाएगा तथा अप्रैल 2007 के 20 वें दिन से हटा दिया गया समझा जाएगा।

6. विनियम 16 का संशोधन

मूल विनियमावली में. विनियम 16 के खंड (1) में "भारत के बाहर " शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा जाएगा और मार्च 2006 के 27 वें दिन से जोड़ा गया समझा जाएगा।

" नीचे दिए गए संवर्गी में, रिजर्व बैंक के पूर्वानुमति के बगैर :

(i) ऐसे मामलों में जहां संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाएं समुद्रपारीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं,

 ऐसे मामलों में, जहां भारतीय प्रवर्तक कंपनी भारत में किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और जिसकी निवल मालियत 100 करोड़ रुपये से कम नहीं है;

(iii) जहां भारतीय प्रवर्तक एक असूचीबद्ध कंपनी है और समुद्रपारीय उद्यमों में निवेश 10 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक नहीं है ".

7. विनियम 18 का संशोधन -

मूल विनियमावली में, विनियम 18 में शब्द "किसी प्राधिकृत व्यापारी अथवा भारत में किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था से " के बाद अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा तथा अप्रैल 2007 के 20 वें दिन से जोड़ा गया समझा जाएगा, अर्थात :-

" अथवा किसी समुद्रपारीय उधारकर्ता को, बशर्ते उधारकर्ता का एक बैंक के रूप में विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाता है तथा भारतीय पार्टी की कुल विनीय प्रतिबद्धताएं संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में समुद्रपारीय निवेशों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अनुबद्ध सीमा के अंदर हैं।"

8. भाग II में नए विनियम का जोड़ा जाना -

मूल विनियमावली में, भाग II में, विनियम 19 के बाद , निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा तथा मार्च 2006 के 27 वें दिन से जोड़ा गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

"19 अ समुद्रपारीय निवेश - स्वामित्ववाले प्रतिष्ठान -/अपंजीकृत साझेदारी फर्म

अच्छा कार्य निष्पादन वाले और अधिसूचना की अनुसूची II के अनुसार मानदंड को संतुष्ट करनेवाले अनुकूल उच्च कार्य निष्पादन करनेवाले मान्यता प्राप्त तारांकित निर्यात गृह होने के कारण भारत में स्वामित्व / अपंजीकृत साझेदारी फर्म रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से भारत के बाहर संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं।"

9. नई अनुसूची जोड़ना -

मूल विनियम में, अनुसूची I के बाद निम्नलिखित नई अनुसूची जोड़ी जाएगी तथा मार्च 2006 के 27 वें दिन से जोड़ी गई समझी जाएगी, अर्थात् : -

"अनुसूची II (विनियम 19अ देखें)

समुद्रपारीय निवेश - स्वामित्ववाले प्रतिष्ठान/अपंजीकृत साझेदारी फर्म

स्थापित स्वामित्ववाले अथवा अपंजीकृत साझेदारी निर्यातक फर्मी द्वारा भारत के बाहर निवेश करने के प्रस्तावों पर विचार करने के मानदंड --

- i) साझेदारी / स्वामित्ववाला फर्म विदेश व्यापार निदेशालय से मान्यताप्राप्त तारांकित निर्यातगृह (निर्यात प्रतिवर्ष 15 करोड़ रुपये से अधिक) है।
- ii) प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस बात से संतुष्ट है कि निर्यातक अपने ग्राहकों को जानिए का अनुपालक है, प्रस्तावित कारोबार में लगा हुआ है तथा दर्शाए गए अनुसार उसका पण्यावर्त है।
- iii) निर्यातक का अच्छा कार्य निष्पादन रिकार्ड है अर्थात् निर्यात बकाया पिछले तीन वर्षों के औसत निर्यात वसूली के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है।
- iv) निर्यातक प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी किसी सरकारी एजेंसी के प्रतिकूल सूचना के तहत नहीं आता है तथा रिजर्व बैंक की निर्यातक सतर्कता सूची अथवा भारत में बैंकिंग प्रणाली के चूककर्ता सूची में नहीं है।
- v) भारत के बाहर निवेश राशि तीन वर्षों की निर्यात वसूली के औसत का 10 प्रतिशत अथवा फर्म के निवल स्वाधिकृत निधियों के 200 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं है।"

<u> 10. विनियम 22 का संशोधन -</u>

मूल नियमावली में, विनियम 22 में, (i) उप-विनियम (2) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा अप्रैल 2006 के 5 वें दिन से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) भारत में निवासी कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति होने के नाते, जो भारतीय कंपनी

अथवा किसी विदेशी कंपनी की शाखा अथवा किसी विदेशी कंपनी अथवा किसी भारतीय कंपनी की भारत स्थित सहायक कंपनी, जिसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी विदेशी इक्विटी धारिता प्रभावपूर्ण रूप से 51 प्रतिशत से कम नहीं है, का कर्मचारी अथवा निदेशक है, ऐसी विदेशी कंपनी द्वारा प्रस्तावित शेयर स्वीकार कर सकता है।

बशर्ते

(i) कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना के तहत शेयर समान आधार पर वैश्विक रूप से जारीकर्ता कंपनी द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं तथा (ii) भारतीय कंपनी प्रेषण / हिताधिकारियों / आदि के ब्योरे देते हुए प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से रिजर्व बैंक को एक वार्षिक विवरणी प्रस्तृत करती है।"

स्पष्टीकरण- इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए "अप्रत्यक्ष रूप से "का अर्थ ट्रस्ट/स्पेशल परपस वेहिकल अथवा स्टेप डाउन सब्सिडियरी के माध्यम से अप्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी धारिता है।

- (ii) उप-विनियम (3) और (4) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अप्रैल 2006 के 5 वें दिन से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा , अर्थातु :-
 - "(3) एक प्राधिकृत व्यापारी, कर्मचारी स्टाफ विकल्प योजना के तहत, योजना के परिचालनात्मक पद्धित पर ध्यान दिए बगैर शेयरों के अधिग्रहण के लिए उप-विनियम (2) के अनुसार शेयरों की खरीद के लिए पात्र व्यक्ति द्वारा प्रेषण की अनुमित दे सकता है:-

बशर्ते उप-विनियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाता है।

(4) भारत में निवासी व्यक्ति उपर्युक्त उप-विनियम (2) और (3) के अनुसार अधिगृहीत शेयरों को बिक्री द्वारा अंतरित कर सकता है

बशर्ते उसकी प्राप्य राशियों को उनकी प्राप्ति के तत्काल बाद और किसी भी स्थिति में ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री की तारीख से 90 दिनों के ही अंदर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

- (iii) उप-विनियम (4) के बाद निम्नितिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा अप्रैल 2006 के 5 वें दिन से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-
 - "(5) एक विदेशी कंपनी, जिसने इस विनियम के उप-विनियम (2) के अनुसार शेयर जारी किया है, उसकी पुनर्खरीद कर सकती है बशर्ते
 - (i) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गए नियमों / विनियमों के अनुसार शेयर जारी किए गए हैं,
 - (ii) प्रारंभिक प्रस्ताव दस्तावेजों के अनुसार शेयरों की पुनर्खरीद की जा रही है और.

11. विनियम 26 का संशोधन - मूल विनियमावली में, विनियम 26 में "म्युच्युअल फंड" शब्दों के बाद "और उद्यम पूंजी फंड" जोड़ा जाएगा और अप्रैल 2007 के 30 वें दिन से जोड़ा गया समझा जाएगा।

[फा. सं. 1/23/ईएम/2000-खण्ड-IV]

सलीम गंगाधरन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :--

(i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 राजकीय गजट के दिनांक नवम्बर 19, 2004 के जी.एस.आर सं.757 (E) द्वारा प्रकाशित किए गए तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए -

दिनांक अप्रैल 7, 2005 का जी.एस.आर.सं. 220(E)

दिनांक मई 27, 2005 का जी.एस.आर.सं. 337(E)

दिनांक अगस्त 31, 2005 का जी.एस.आर.सं. 552(E)

(ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के पूर्व प्रभावी होने से किसी भी व्यक्ति पर
प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(E. M. Section)

(Reserve Bank of India)

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th October, 2007

No. FEMA, 164/2007-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2007

G.S.R. 13(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 (Notification No. FEMA 120/RB-2004 dated July 7, 2004) namely:—

1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2007.
- (ii) These Regulations shall be deemed to have come into effect from the dates specified in these Regulations.

2. Amendment of Regulation 2:-

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004, (Notification No. FEMA.120/RB-2004 dated July 7, 2004, hereinafter referred as the principal Regulations),

- (i) In Regulation 2, in clause (f), for the words and figures "50 per cent of the amount of guarantees", the words and figures "100 per cent of the amount of guarantees" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 14th day of June, 2007.
- (ii) In Regulation 2, after clause (q), the following new clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 30th day of April, 2007, namely: -
 - "(qa) 'Venture Capital Fund' means a fund as defined under the Securities and Exchange Board of India (Venture Capital Fund) Regulations, 1996".

3. Amendment of Regulation 6:-

In the principal Regulations, in Regulation 6,

- (i) in sub- regulation (2), for clause (i), the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 14th day of June, 2007, namely,
 - "(i) The total financial commitment of the Indian Party in Joint Ventures/Wholly Owned Subsidiaries shall not exceed 300% of the net worth of the Indian Party as on the date of the last audited balance sheet.

Provided that for the Indian Party which is a registered partnership firm, the total financial commitment shall not exceed 200% of its net worth"

(ii) In sub-regulation (2), in clause (i), in the Explanation, for the words and figures " For the purpose of determining 'total financial

commitment' within the limits of 200% of the net worth", the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 14th day of June 2007, namely, -

"For the purpose of determining 'total financial commitment' within the limit of 200% or 300% of the net worth, as the case may be "

- (iii) in sub- regulation (2), in clause (i), in sub- clause (c), for the words "fifty per cent of the value of guarantees", the words "hundred per cent of the value of guarantees" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 14th day of June, 2007.
- (iv) in sub regulation (3), in clause (ii), for the words and figures "shall not exceed 100 % of the net worth", the words and figures "shall not exceed 200 % of the net worth" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 12th day of May, 2005.
- (v) in sub-regulation (3) in clause (ii) as amended by clause (iv) above, for the words "shall not exceed 200 % of the net worth", the words and figures "shall not exceed 300 % of the net worth in case of corporates and shall not exceed 200 % of net worth in case of registered partnership firms" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 14th day of June, 2007.
- (vi) in sub-regulation (3), in clause (ii), in the Explanation, for the words and figures "100 % of the net worth", the words and figures " 200 % of the net worth" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 12th day of May, 2005.
- (vii) in sub-regulation (3), in clause (ii), as amended by clause (vi) above, for the words and figures "200 % of the net worth", the words and figures "shall not exceed 300 % of the net worth in case of corporates and shall not exceed 200 % of the net worth in case of registered partnership firms "shall be substituted and shall be

deemed to have been substituted with effect from the 14th day of June, 2007.

- (viii) in sub-regulation (3), in clause (ii), in sub-clause (c), for the words "fifty per cent of the amount of guarantees" the words "hundred per cent of the amount of guarantees" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 14th day of June, 2007.
- (ix) in sub-regulation (3), in clause (ii), after sub-clause (c), the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 27th day of March,2006, namely :-

"Explanation:- an Indian Party may offer to a person resident outside India any form of guarantees, that is, corporate or personal / primary or collateral / guarantee by promoter company in India / guarantee by group company, sister concern or associate company in India, provided that:

- a) total 'financial commitment' including all forms of guarantees remains within the overall ceiling stipulated for overseas investment by an Indian Party and
- b) no guarantee is 'open ended'. "
- in sub-regulation (3), in clause (ii), in the Explanation, after the subclause (e), the following new sub-clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 7th day of July, 2004 namely:-
 - "(f) Swap of shares".
- (xi) in sub-regulation (3), in clause (ii), in the Explanation, after subclause (f), as inserted by clause (x) above, the following new subclause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 20th day of April 2007, namely:-

"(g) ADR/GDR Stock Swap subject to the valuation norms and sectoral cap".

4. Amendment of Regulation 6B:-

In the principal Regulations, in Regulation 6B,

- (i) the words " an individual or " shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 20th day of December 2006.
- (ii) in clause (b), in sub clause (i), for the words and figures "25 % of the net worth", the words and figures "35% of the net worth" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 14th day of June, 2007.

5. Amendment of Regulation 8 :-

In the principal Regulations, Regulation 8 shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from 20th day of April 2007.

6. Amendment of Regulation 16

In the principal Regulations, In clause (1) of Regulation 16 after the words 'outside India' the following words shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 27th day of March 2006, namely:-

" without prior approval of the Reserve Bank, in the under noted categories:

- i) in cases where the JV / WOS is listed in the overseas stock exchange;
- ii) in cases where the Indian promoter company is listed on a stock exchange in India and has a net worth of not less than Rs.100 crore;
- iii) where the Indian promoter is an unlisted company and the investment in overseas venture does not exceed USD 10 million".

7. Amendment of Regulation 18:-

In the principal Regulations, in Regulation 18, after the words, "from an authorised dealer or a public financial institution in India" the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 20th day of April 2007, namely, :-

F767/0 1

"or to an overseas lender, provided the lender is regulated and supervised as a bank and the total financial commitment of the Indian Party remains within the limit stipulated by the Reserve Bank for overseas investments in JV/WOS".

8. Insertion of new Regulation in Part II:

In the principal Regulations, in Part II, after Regulation 19, the following Regulation shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 27th day of March, 2006, namely:-

"19A Overseas Investments - Proprietorship Concerns:Proprietary / unregistered partnership firm in India being a recognised Star Export House with a proven track record and a consistently high export performance satisfying the criteria as per schedule II of the Notification may set up a JV/WOS outside India with the prior approval of the Reserve Bank."

9. insertion of new Schedule: -

In the principal Regulations, after Schedule I, the following new Schedule shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 27th day of March 2006, namely:-

"Schedule II

(See Regulation 19A)

Overseas Investments - Proprietorship concerns

Criteria for considering investment proposals outside India by established proprietorship or unregistered partnership exporter firms:

- The Partnership / Proprietorship firm is a DGFT recognised Star Export House (export exceeding Rs.15 crore per annum).
- ii) The Authorised Dealer bank is satisfied that the exporter is KYC (Know Your Customer) compliant, is engaged in the proposed business and has turnover as indicated.
- iii) Exporter has proven track record i.e. export outstanding does not exceed 10 per cent of the average export realisation of the preceding three years.

- iv) The exporter has not come under the adverse notice of any Government agency like Directorate of Enforcement, Central Bureau of Investigation and does not appear in the exporters' caution list of the Reserve Bank or in the list of defaulters to the banking system in India.
- v) The amount of investment outside India does not exceed 10 per cent of the average of three years export realisation or 200 per cent of the net owned funds of the firm, whichever is lower.

10. Amendment of Regulation 22:-

In the principal Regulations, in Regulation 22,

- (i) for sub-regulation (2), the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 5th day of April 2006, namely:-
 - "(2) A person resident in India, being an individual, who is an employee or a director of Indian office or branch of a foreign company or of a subsidiary in India of a foreign company or of an Indian company in which foreign equity holding effectively, directly or indirectly, is not less than 51 per cent, may accept the shares offered by such foreign company

Provided that

(i) the shares under the ESOP Scheme are offered by the issuing company globally on uniform basis, and (ii) an Annual Return is submitted by the Indian company to the Reserve Bank through the Authorised Dealer bank giving details of remittances / beneficiaries etc.,

Explanation: - For the purpose of this sub-regulation, 'indirectly' means 'indirect foreign equity holding through a trust/ special purpose vehicle or a step down subsidiary'."

- (ii) for sub-regulations (3) and (4), the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 5th day of April, 2006, namely ;-
 - "(3) An authorised dealer bank may allow the remittance by the person eligible to purchase the shares in terms of subregulation (2) for acquiring shares under ESOP Schemes, irrespective of the method of the operationalisation of the scheme

Provided that the conditions specified in that sub-regulation are fulfilled.

(4) A person resident in India may transfer by way of sale, the shares acquired in terms of sub-regulations (2) and (3) above

Provided that the proceeds thereof are repatriated immediately on receipt thereof and in any case not later than 90 days from the date of sale of such securities".

- (iii) after sub-regulation (4), the following new sub-regulations shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 5th day of April, 2006, namely:-
 - "(5) A foreign company, who has issued the shares in terms of sub-regulation (2) of this Regulation may repurchase the same provided that
 - (i) the shares were issued in accordance with the Rules / Regulations framed under Foreign Exchange Management Act, 1999,
 - (ii) the shares are being repurchased in terms of the initial offer document and,

- (iii) An Annual Return is submitted through the Authorised Dealer bank giving details of remittances / beneficiaries etc.
- (6). An Authorized Dealer bank may allow the remittance by the person eligible to purchase the shares in terms of sub-regulation (2)."

11. Amendment of Regulation 26:-

In the principal Regulations, in Regulation 26, after the words "Mutual Funds", the words "and Venture Capital Funds" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 30th day of April, 2007.

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol-IV] SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager

Foot Note:-

- (i) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 were published in the Official Gazette vide G.S.R.No.757 (E) dated November 19, 2004 and subsequently amended vide
- G.S.R. No. 220(E) dated April 7, 2005
- G.S.R. No. 337(E) dated May 27, 2005
- G.S.R. No. 552(E) dated August 31, 2005
- (ii) It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these Regulations.

अधिसूचना

मुम्बई, 10 अक्तूबर, 2007

सं. फेमा 165/2007-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) (संशोधन) विनियमावली, 2007

सा.का.नि. 14(अ).—विदेशो मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्थ वैंक केन्द्रीय सरकार के परामर्श से विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 1/2000-आरबी) में संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है. अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) (संशोधन) विनियमावली, 2007 कहलाएंगे।
- (ii) ये इन विनियमों में विशेष रूप से उल्लिखत तारीखों से लागू होंगे।*

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 में विनियम 4 उप-विनियम (क) में परंतुकों को निम्नलिखित परंतुकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"बशर्ते

(क) अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके तहत बनाए गए अथवा जारी किए गए नियमावली अथवा विनियमावली अथवा निदेश अथवा आदेश के अधीन निवासी व्यक्ति अनुसूची । में विनिर्दिष्ट किसी अनुमत पूंजी खाता लेनदेन के लिए प्राधिकृत व्यापारी से दिसंबर 20,2006 से 50,000 अमरीकी डॉलर तक प्रति वित्तीय वर्ष ,मई 8,2007 से 100,000 अमरीकी डॉलर तक प्रति वित्तीय और सितंबर 26,2007 से 200,000 अमरीकी डॉलर तक प्रति वित्तीय वर्ष विदेशी मुद्रा आहरित कर सकता है;

स्पष्टीकरण : समय समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली की अनुसूची III की मद सं.3 और 4 के अनुसार उपहार अथवा दान के प्रेषण के लिए निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा के आहरण को उपर्युक्त परंतुक (क) के तहत सीमा के अंदर शामिल किया जाएगा;

(ख) जहां निवासी व्यक्ति द्वारा अनुसूची I में विशेष रूप से उल्लिखित किसी अनुमत पूंजी खाता लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण 50,000 अमरीकी डॉलर अथवा 100,000 अमरीकी डॉलर अथवा 200,000 अमरीकी डॉलर,जैसा मामला हो, प्रति वित्तीय वर्ष से अधिक होता है तो लेनदेन के लिए संगत विनियमों में विशेष रूप से उल्लिखित सीमा ऐसे आहरण के संबंध में लाग होगी।

बशर्त आगे कि परंतुक (क) के तहत आहरित 50,000 अमरीकी डॉलर अथवा 100,000 अमरीकी डॉलर अथवा 200,000 अमरीकी डॉलर की विदेशी मुद्रा का कोई भी अंश वित्तीय कार्रवाई कार्यदल द्वारा समय-समय पर असहयोगी देशों और संघों के रूप में अधिसूचित और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी संबंधितों को सूचित देशों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में प्रेषण के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। "

[फा. सं. 1/23/ईएम/2000-खण्ड-IV] सलीम गंगाधरन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :--

- 1. *यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे विनियमों के पूर्व प्रभावी होने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 2. मूल विनियमावली मई 5, 2000 के राजकीय गजट जी.एस.आर. सं. 384 (E) द्वारा भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे और बाद में 23.3.2004 के जी.एस.आर. 207 (E) द्वारा संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th October, 2007

No. FEMA. 165/2007-RB

Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) (Amendment) Regulations, 2007

G.S.R. 14(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India in consultation with Central Government, makes the following Regulations to amend the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 1/2000-RB dated May 3, 2000) namely:—

1. Short title and commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) (Amendment) Regulations, 2007.
- (ii) They shall come into force from the dates specified in these regulations. *
 2. Amendment to the Regulations

In the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000, in regulation 4, sub-regulation (a), the provisos, shall be substituted by the following provisos namely:-

Provided that –

 (a) subject to the provisions of the Act or the rules or regulations or directions or orders made or issued thereunder, a resident

individual may, draw from an authorized person foreign exchange not exceeding USD 50,000 per financial year with effect from December 20, 2006, USD 100,000 per financial year with effect from May 8, 2007 and USD 2,00,000 per financial year with effect from September 26, 2007, for a capital account transaction specified in Schedule I.

Explanation: Drawal of foreign exchange by resident individuals towards remittances of gift or donations as per item No. 3 and 4 of Schedule III to Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000 dated 3rd May 2000 as amended from time to time, shall be subsumed within the limit under proviso (a) above;

(b) where the drawal of foreign exchange by a resident individual for any capital account transaction specified in Schedule I exceeds USD 50,000 or USD 100,000 or USD 200,000, as the case may be, per financial year, the limit specified in the regulations relevant to the transaction shall apply with respect to such drawal.

Provided further that no part of the foreign exchange of USD 50,000 or USD 100,000 or USD 200,000, as the case may be, drawn under proviso (a) shall be used for remittance directly or indirectly to countries notified as non-co-operative countries and territories by Financial Action Task Force (FATF) from time to time and communicated by the Reserve Bank of India to all concerned."

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol-IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager

Foot Note:-

- 1. * It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to such Regulations.
- 2. The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 384 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide G.S.R. No. 207 (E) dated March 23, 2004.